



कार्यालय पुलिस नियंत्रण कक्ष आयुक्तालय जोधपुर



प्रेस-नोट (दिनांक 30.07.2024) आयुक्तालय जोधपुर

श्री राजेंद्र सिंह पुलिस आयुक्त जोधपुर के निर्देशानुसार दिनांक 29.07.2024 को वक्त 06.00 पी.एम. से 10.00 पी.एम. तक अंतर्गत धारा 60 पुलिस एक्ट कार्यवाही तथा टेला संचालको की फोटो राजकोप ऐप से मिलान कर सूचना संकलन अभियान चलाया गया।

पुलिस आयुक्तालय जोधपुर के समस्त थानाधिकारगण व पुलिस यातायात प्रभारीगण के साथ सयुक्त रूप से अंतर्गत धारा 60 पुलिस एक्ट में अधिकाधिक कार्यवाही करने तथा अपने-अपने थाना क्षेत्र के चेतन वाहनों द्वारा थाना क्षेत्र में संचालित टेला संचालकों की फोटो राजकोप ऐप के माध्यम से मिलान कर सूचना संकलन करने के दिशा निर्देश दिए गए।

श्री पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशों की पालना में पुलिस आयुक्तालय जोधपुर के समस्त थानाधिकारीगण ने अपने-अपने क्षेत्र के सभी चेतकों में लगे पुलिस बल व थाना पुलिस बल को इस अभियान के संबंध में ब्रीफ कर रवाना किया गया।

दौराने अभियान जोधपुर आयुक्तालय में धारा 60 पुलिस एक्ट के तहत कुल 311 कार्यवाही तथा चेतको द्वारा कुल 355 टेला संचालकों के फोटो राजकोप ऐप पर मिलान किए गए जिसमें 9 टेला संचालकों की फोटो आपराधिक रूप से मिलान हुए।

रात्रिकालीन गश्त के दौरान आर्मस एक्ट व धारा 185 एम.वी. एक्ट के तहत कार्यवाही करने का अभियान चलाकर कुल 49 वाहन चालकों का शराब पीकर वाहन चलाने पर धारा 185 एम.वी. एक्ट में चालान करने कार्यवाही की गई तथा धारा 4/25 आर्मस एक्ट में पुलिस थाना रातानाडा, सदर बाजार व विवेक विहार द्वारा एक-एक कार्यवाही की गई।

आमजन से आग्रह है कि आपके आस-पास क्षेत्र में किसी भी प्रकार की गैरकानूनी, अनैतिक, अवैध शराब/मादक पदार्थ की बिक्री या किसी संदिग्ध व्यक्ति आदि की जानकारी होने पर इसकी सूचना तुरंत संबंधित पुलिस थाना या पुलिस नियंत्रण कक्ष नं. 100/112 पर सूचित करें।

प्रभारी

पुलिस नियंत्रण कक्ष,
आयुक्तालय जोधपुर।